2.2. ये दिशानिर्देश, इस अधिसूचना में वर्णित तंत्र द्वारा टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से विद्युत के पारेषण के लिए पारेषण सेवाओं की खरीद और उस बोलीदाता का चयन करने के लिए जो एक नई अंतरराज्यीय / अंतरा-राज्यीय पारेषण प्रणाली के लिए एसपीवी का अधिग्रहण करेगा और निर्माण, स्वामित्व, निर्दिष्ट पारेषण प्रणाली घटकों को संचालित और स्थानांतरित करेगा, के लिए लागू होंगे । अंतर-राज्यीय पारेषण परियोजनाओं के लिए मानक बोली दस्तावेज केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यीय पारेषण प्रभारों और हानियों की हिस्सेदारी) विनियम, 2020 के आधार पर विकसित किए जाते हैं, जबकि अंतरा-राज्यीय पारेषण परियोजनाओं के लिए मानक बोली दस्तावेज टैरिफ गणना की डाक टिकट पद्धति के आधार पर विकसित किए जाते हैं। यदि कोई राज्य केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यीय पारेषण प्रभारों और हानियों की हिस्सेदारी) विनियम, 2020 के तहत निर्दिष्ट हिस्सेदारी तंत्र को अपनाता है, तो वे उचित संशोधन एवं उपयुक्त सरकार के अनुमोदन से अंतरा-राज्यीय पारेषण परियोजनाओं के अवार्ड के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण परियोजनाओं के लिए मानक बोली दस्तावेजों का अनुसरण कर सकते हैं। अंतर-राज्यीय पारेषण परियोजनाओं के लिए, सीटीयू या उसके उत्तराधिकारियों या केंद्र सरकार द्वारा तय की गई एजेंसी को परियोजना के सीओडी से 35 साल बाद, अर्थात् करार के समाप्त होने की अवधि के बाद परियोजना की परिसंपत्ति के साथ सबस्टेशन के भूमि अधिकारों, मार्गाधिकार और मंजूरी के साथ शून्य लागत पर और किसी भी भार और दायित्व से मुक्त अनिवार्य रूप से हस्तांतरित की जाएगी। यह हस्तांतरण करार की अवधि समाप्त होने के 90 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा, ऐसा न करने पर सीटीयू को स्वत: परियोजना परिसंपत्ति का अधिग्रहण करने का अधिकार होगा। सीईए और सीटीयू (दोनों आयोजना एजेंसियां होने के नाते) परियोजना के सीओडी के बत्तीसवें वर्ष (32वें) में तत्समय उपलब्ध प्रौद्योगिक विकल्पों और प्रणाली अध्ययन के आधार पर प्रणाली के उन्नयन या मौजूदा प्रणाली के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण, की आवश्यकता की जांच करेंगे। परियोजना के सीओडी से 35 वर्षों के बाद परियोजना को प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित उत्तराधिकारी बोलीदाता को नवीनीकरण और आधुनिकीकरण यदि कोई हो, और प्रचालन और रखरखाव के लिए दिया जा सकता है। यदि सीटीयू द्वारा मौजूदा प्रणाली के उन्नयन या नवीनीकरण और आधुनिकीकरण और परिसंपत्तियों के हस्तांतरण की आवश्यकता की जांच करने के लिए कोई लागत आती है, तो उसे उत्तराधिकारी चयनित बोलीदाता से वसूल किया जाएगा।

2.3. अंतर-राज्यीय पारेषण परियोजनाओं के लिए, परियोजना की करार अवधि की समाप्ति के बाद राज्य सरकार द्वारा तय की गई एजेंसी को परियोजना की परिसंपत्ति के साथ सबस्टेशन भूमि अधिकार, मार्गाधिकार और मंजूरी के साथ, शून्य लागत पर और किसी भार और दायित्वसे मुक्त अनिवार्य रूप से हस्तांतरित की जाएगी । अंतरा-राज्यीय पारेषण परियोजनाओं के लिए करार की अवधि उपयुक्त आयोग के सुसंगत विनियमों के अनुसार एलटीटीसी या बीपीसी द्वारा नियत 35 वर्ष या कोई भी अवधि हो सकती है । राज्य पारेषण यूटिलिटी (एसटीयू) (आयोजना एजेंसी होने के नाते), परियोजना की समाप्ति से तीन (3) वर्ष पहले वाले वर्ष में, उस समय के प्रौद्योगिक विकल्पों और प्रणाली अध्ययन के आधार पर प्रणाली के उन्नयन या मौजूदा प्रणाली के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण की आवश्यकता की जांच करेगी। इसके बाद आवश्यकतानुसार, परियोजना की करार अवधि के बाद नवीनीकरण और आधुनिकीकरण, और प्रचालन और रखरखाव के लिए प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित उत्तराधिकारी बोलीदाता को परियोजना प्रदान की जा सकती है। यदि एसटीयू द्वारा मौजूदा प्रणाली के उन्नयन या नवीनीकरण और आधुनिकीकरण और परिसंपत्तियों के हस्तांतरण की आवश्यकता की जांच करने के लिए कोई लागत आती है, तो इसे उत्तराधिकारी चयनित बोलीदाता से वसूल किया जा सकता है।

2.4. पारेषण सेवाएं प्रदान करने के अंतर्गत, सर्वेक्षण, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, वित्त की व्यवस्था, परियोजना प्रबंधन, पारेषण लाइसेंस प्राप्त करना, मार्गाधिकार प्राप्त करना, वन मंजूरी, पर्यावरण मंजूरी, सांविधिक और अन्य आवश्यक मंजूरी, साइट पहचान, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे का भुगतान, डिजाइन, इंजीनियरिंग, गुणवत्ता नियंत्रण, उपकरण की खरीद, सामग्री, निर्माण, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग, पारेषण लाइनों और/या सबस्टेशन और/या स्विचिंग स्टेशनों और/या एचवीडीसी लिंक के प्रचालन और टर्मिनल स्टेशनों और एचवीडीसी पारेषण लाइन सहित सभी संबंधित गतिविधियां शामिल होंगी। यह इस प्रकार से होगा कि परियोजना के निष्पादन से लेकर पूरा होने और चालू होने तक और उसके बाद के रखरखाव और प्रचालन तक बोली दस्तावेज में निर्दिष्ट आवश्यक पारेषण सेवाएं प्रदान की जाती हैं, ताकि ई-रिवर्स बोली के दौरान चयनित बोलीदाता द्वारा उद्धृत और उपयुक्त आयोग द्वारा अपनाए गए पूर्ण पारेषण शुल्क की वसूली के लिए लक्ष्य के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध हों। लक्ष्य से कम

पारेषण प्रणाली की उपलब्धता के लिए, नीचे पैरा 2.5 के अध्यधीन, टीएसपी को देय पारेषण शुल्क, पारेषण सेवा करार (टीएसए) के उपबंधों के अनुसार होगा।

2.5. यदि लगातार छह महीनों के लिए पारेषण प्रणाली की उपलब्धता पारेषण सेवा करार (टीएसए) में निर्धारित मानदंडों से कम है, तो नोडल एजेंसी टीएसए को समाप्त कर सकती है। यदि पारेषण सेवा या नोडल एजेंसी के खरीदार की राय है कि पारेषण प्रणाली अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो वह टीएसपी के जोखिम और लागत पर समय अंतराल व्यवस्था के रूप में पारेषण प्रणाली के प्रचालन और रखरखाव जारी रख सकती है या करवा सकती है और विद्युत अधिनियम 2003 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई के लिए उपयुक्त आयोग से संपर्क कर सकती है।

3. बोली प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी)

3.1. एक बोली प्रक्रिया समन्वयक, जिसे इसके बाद बीपीसी कहा गया है, इन दिशानिर्देशों के अनुसार टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत कार्यान्वित की जाने वाली प्रत्येक अंतर-राज्यीय पारेषण परियोजना के लिए आवश्यक पारेषण सेवाओं की खरीद के लिए बोली प्रक्रिया के संचालन के लिए जिम्मेदार होगा ।

3.2. किसी भी अंतर-राज्यीय पारेषण परियोजना के लिए आवश्यक पारेषण सेवाओं की खरीद के लिए , केंद्र सरकार सीटीयू या किसी केंद्र सरकार के संगठन/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (विशेष प्रयोजनीय वाहन) को बीपीसी के रूप में अधिसूचित करेगी । विद्युत मंत्रालय किसी भी समय बीपीसी के नामांकन की समीक्षा करने के लिए स्वतंत्र होगा ।

3.3. अंतरा-राज्यीय पारेषण के लिए आवश्यक पारेषण सेवाओं की खरीद के लिए, उपयुक्त राज्य सरकार एसटीयू या किसी संगठन/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को बोली प्रक्रिया समन्वयक के रूप में अधिसूचित कर सकती है या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित बीपीसी की सेवाओं को नियुक्त कर सकती है।

3.4. प्रत्येक पारेषण परियोजना के लिए आवश्यक पारेषण सेवाओं की खरीद के लिए बोली प्रक्रिया संचालित करने के लिए, बीपीसी परियोजना की अनुमानित लागत के 1% की दर से व्यावसायिक शुल्क वसूल करेगा, जो प्रति परियोजना न्यूनतम 5 करोड़ रु. और अधिकतम 15 करोड़ रु .होगा।

3.5. साथ ही, इन दिशानिर्देशों के उपबंधों के अनुसार विकासकर्ता के चयन की प्रक्रिया में बीपीसी द्वारा किए गए सभी व्यय की वसूली उस विकासकर्ता से की जाएगी जिसे अंतिम रूप से चिह्नित किया गया है, और उस परियोजना को विकसित करने का कार्य सौंपा गया है । वसूल की जाने वाली राशि को आरएफपी दस्तावेज में दर्शाया जाएगा ताकि बोलीदाता उस राशि को उनके द्वारा उद्धृत किए जाने वाले टैरिफ में ध्यान में रख सकें। इसके अलावा, चयनित बोलीदाता द्वारा बोली प्रक्रिया के अंत में आरएफपी दस्तावेज में दर्शाई गई राशि और अंतिम भुगतान की जाने वाली राशि में 5% से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। साथ ही, यदि किसी पारेषण योजना के लिए बोली प्रक्रिया को रद्द/डीनोटिफाई किया जाता है, तो उस योजना पर बीपीसी द्वारा किए गए व्यय को योजना की पुन: बोली लगाने पर वसूल किया जा सकता है। यदि योजना अब आवश्यक नहीं है या विनियमित टैरिफ तंत्र पर दी गई है, तो उस योजना पर बीपीसी द्वारा किए गए व्यय को विद्युत मंत्रालय की अनुमति से आगामी योजनाओं के लिए आवंटित किया जा सकता है।

4. बोलियां आमंत्रित करने की तैयारी

4.1. बीपीसी इन दिशानिर्देशों के अनुसार बोली दस्तावेज तैयार करेगा और उपयुक्त सरकार का अनुमोदन प्राप्त करेगा। वैकल्पिक रूप से, बीपीसी विद्युत मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक बोली दस्तावेजों का उपयोग कर सकता है । मानक बोली दस्तावेजों से कोई भी महत्वपूर्ण विचलन उपयुक्त सरकार के पूर्व अनुमोदन से ही किया जाएगा। किसी बोली दस्तावेज को मानक बोली दस्तावेजों से महत्वपूर्ण विचलन कहा जाएगा, यदि वह मानक बोली दस्तावेजों की तुलना में निम्नलिखित में से एक या अधिक पहलुओं में पर्याप्त अंतर के साथ पारेषण सेवा प्राप्त करने का प्रस्ताव करता है:

i. पारेषण सेवा का विस्तार, गुणवत्ता या निष्पादन मानक;

ii. टीएसपी और नोडल एजेंसी के अधिकार, भूमिकाएं और दायित्व

iii. अर्हता आवश्यकता

iv. बोली बंधपत्र की कीमतें, करार निष्पादन गारंटी और क्षतिपूर्ति नुकसानी

4.2. बीपीसी द्वारा बोली प्रक्रिया शुरू करने के बारे में उपयुक्त आयोग को सूचना भेजी जाएगी ।

4.3. बोली दस्तावेजों में परियोजना प्रोफाइल और सर्वेक्षण रिपोर्ट भी शामिल होगी। परियोजना प्रोफाइल (पीपी) में लाइन के संबंध में सुसंगत डेटा अर्थात वोल्टेज स्तर, लाइन कॉन्फ़िगरेशन, अर्थात् एस/सी या डी/सी, कंडक्टर आदि के कार्यात्मक विनिर्देश और सबस्टेशन या कनवर्टर स्टेशनों के कार्यात्मक विनिर्देश (एचवीडीसी लाइन के मामले में).होना चाहिए।सर्वेक्षण रिपोर्ट में मार्ग की अनुमानित लंबाई, इलाके के प्रकार, अधिकतम ऊंचाई , बर्फीले क्षेत्र , पवन क्षेत्र, वन/वन्यजीव उल्लंघन, लुप्तप्राय प्रजातियों के पर्यावास का उल्लंघन, आसपास के नागरिक और सेना हवाई अड्डे, मार्ग में आने वाली प्रमुख नदी/समुद्री क्रॉसिंग और कोयला/खनिज खनन क्षेत्रों और सबस्टेशन या कनवर्टर स्टेशनों के स्थान सहित एक सुझाया गया मार्ग होगा।

4.4. स्थान विशिष्ट सबस्टेशनों, स्विचिंग स्टेशनों या एचवीडीसी टर्मिनल या इन्वर्टर स्टेशनों के लिए बीपीसी को भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। बीपीसी जरूरत पड़ने पर वन मंजूरी लेने की प्रक्रिया भी शुरू करेगा।

5. पारेषण सेवा प्रदाता (टीएसपी)

5.1. बीपीसी द्वारा निगमित विशेष प्रयोजनीय वाहन (एसपीवी), जिसे आगे टीएसपी कहा गया है, को करार निष्पादन गारंटी जमा करने और सफल बोलीदाता द्वारा एसपीवी प्राप्त करने के बाद, पारेषण सेवा प्रदाता (टीएसपी) के रूप में नामित किया जाएगा । टीएसपी उपयुक्त आयोग से पारेषण लाइसेंस का अनुरोध करेगा।

5.2. टीएसपी पारेषण परियोजना के निष्पादन को आरंभ करेगा ताकि टीएसए में निर्दिष्ट अनुसूची के अनुसार पारेषण प्रणाली की कमीशनिंग और प्रचालनात्मकता को पूरा किया जा सके।

6. पारेषण प्रभारों की वसूली

6.1. इन दिशानिर्देशों के अनुसार ई-रिवर्स बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित टीएसपीयों द्वारा प्रदान किए गए पारेषण प्रणाली के लिए टीएसपी को देय कुल शुल्क, इन दिशानिर्देशों के पैरा 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 और 7.5 में निर्दिष्ट अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

6.2. राज्य आपूर्ति यूटिलिटियों, वितरण कंपनियों, उत्पादन कंपनियों, व्यापारियों, थोक उपभोक्ताओं, आदि जैसे डीआईसी/एलटीटीसी से पारेषण शुल्क की वसूली इन दिशानिर्देशों और समय-समय पर अधिसूचित उपयुक्त आयोग के सुसंगत नियमों के अनुसार की जाएगी।

7. पारेषण प्रभार संरचना

7.1. **इन दिशानिर्देशों के तहत पारेषण सेवाओं की खरीद हेतु**: प्रत्येक भुगतान अवधि के लिए पारेषण शुल्क का भुगतान और निपटारा उपयुक्त आयोग के विनियमों के अनुसार किया जाएगा। प्रथम वर्ष के लिए वार्षिक पारेषण प्रभार, जो परियोजना के सीओडी से 35 वर्ष की अवधि के लिए नियत रहेगा, बोली और मूल्यांकन का आधार बनेगा।

7.2. बीपीसी, पारेषण सेवा के लिए आवश्यक पारेषण प्रणाली के लिए वाणिज्यिक प्रचालन के निर्धारित महीने को निर्दिष्ट करेगा ।

7.3. देय मासिक टैरिफ, वार्षिक टैरिफ में उस महीने में दिनों की संख्या का गुणा कर तथा परिणाम में वर्ष में दिनों की संख्या से विभाजित कर निकाला जाएगा।

7.4. टैरिफ केवल भारतीय रुपए में निर्दिष्ट किया जाएगा। विदेशी मुद्रा जोखिम, यदि कोई हो, टीएसपी द्वारा वहन किया जाएगा।

7.5. ई-रिवर्स बोली प्रक्रिया के उपरांत पाए गए न्यूनतम वार्षिक पारेषण शुल्क वाले बोलीदाता को अवार्ड के लिए विचार किया जाएगा। यदि उद्धृत दरें प्रचलित कीमतों के अनुरूप नहीं हैं, तो मूल्यांकन समिति को सभी कीमत बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

8. भुगतान सुरक्षा तंत्र

8.1. अंतर-राज्यीय पारेषण परियोजनाओं के लिए भुगतान सुरक्षा समय-समय पर संशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यीय पारेषण प्रभारों और हानियों की हिस्सेदारी) विनियमों के अनुसार होगी और डीआईसी द्वारा सीटीयू को उपलब्ध कराई जाएगी।

8.2. अंतरा-राज्यीय परियोजनाओं के लिए, टीएसपी द्वारा प्रदान की जा रही पारेषण सेवाओं के उपयोगकर्ता द्वारा टीएसपी को भुगतान सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। भुगतान सुरक्षा में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

i. अपरिवर्तनीय साख पत्र (एलसी)

ii. पारेषण सेवाओं के चूककर्ता उपयोगकर्ता (उपयोगकर्ताओं) की विद्युत के विनियमन सहित अन्य उपाय।

9. बोली प्रक्रिया

9.1. इन दिशानिर्देशों के तहत पारेषण सेवाओं की खरीद के लिए बीपीसी, प्रस्ताव (आरएफपी) का अनुरोध करने के लिए, दो लिफाफे वाली एकल चरण निविदा प्रक्रिया अपनाएगा। बोली के लिए दस्तावेज इन दिशानिर्देशों के पैरा 4.1 के अनुसार तैयार किए जाएंगे। पूरी बोली प्रक्रिया ई-रिवर्स बोली फ्रेमवर्क के तहत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑनलाइन आयोजित की जाएगी।

9.2. आरएफपी नोटिस कम से कम दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों, बीपीसी की वेबसाइट और विशेष रूप से व्यापार पत्रिकाओं में भी प्रकाशित किया जाना चाहिए, ताकि इसके व्यापक प्रचार हो सके। बोली अनिवार्य रूप से अंततराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली (आईसीबी) के माध्यम से होगी। आरएफपी जारी करने के लिए, बोलीदाता द्वारा पूरी की जाने वाली न्यूनतम शर्तों को आरएफपी में निर्दिष्ट किया जाएगा।

9.3. बीपीसी किसी भी बोली लगाने वाले/प्रतिभागी को निविदा दस्तावेज की केवल लिखित व्याख्या प्रदान करेगा, उसी के लिए कहेगा, और उसे ही अन्य सभी बोलीदाताओं को उपलब्ध कराया जाएगा। सभी पक्षकर केवल बीपीसी की लिखित सूचना और स्वीकृतियों पर निर्भर रहेंगे।

9.4. आरएफपी में प्रदान किए जाने वाले मानक दस्तावेजों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

9.4.1. आवश्यकताओं की परिभाषा, जिनमें शामिल हैं:

- परियोजना का संक्षिप्त विवरण;
- बोलीदाताओं द्वारा प्राप्त किए जाने वाले कमीशनिंग माइलस्टोन;
- बोली दस्तावेजों में उल्लेख के अनुसार, आवश्यक प्रमाण के साथ न्यूनतम निवल मूल्य (नेटवर्थ), आदि सहित बोलीदाताओं द्वारा पूरी की जाने वाली अर्हता आवश्यकताएं।

9.4.2. कमीशनिंग और वाणिज्यिक प्रचालन के लिए निर्दिष्ट लक्ष्य तिथियां/माह। निर्माण समय कम से कम 18 महीने के अध्यधीन, इलाके, परियोजना की जटिलता और लाइन की लंबाई आदि के आधार पर पारेषण संबंधी राष्ट्रीय समिति द्वारा अनुशंसित होगा।

9.4.3. मानक पारेषण सेवा करार (टीएसए)। टीएसपी, बीपीसी से एसपीवी के अधिग्रहण की तारीख को नोडल एजेंसी (अंतरराज्यीय परियोजनाओं के मामले में)/संबंधित यूटिलिटियों (अंतरा-राज्यीय परियोजनाओं के मामले में) के साथ एक पारेषण सेवा करार (टीएसए) करेगा।

विद्युत अधिनियम की धारा 38(2) के अनुसार, अंतरराज्यीय पारेषण परियोजनाओं के लिए, सीटीयू पारेषण सेवा करार और आवश्यकतानुसार, अंतरराज्यीय पारेषण सेवाएं प्रदान करने के लिए समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यीय पारेषण प्रभार और हानियों की हिस्सेदारी) के तहत, किसी भी अन्य करार, जिसमें इस संबंध में केंद्रीय आयोग द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार डीआईसी के बीच पारेषण प्रभारों और हानियों की हिस्सेदारी, डीआईसी से पारेषण प्रभार एकत्र करना और संबंधित पारेषण सेवा प्रदाताओं को संवितरित करना शामिल है, को निष्पादित करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

नोडल एजेंसी अपनी भूमिकाओं को पूरा करने और टीएसए के तहत समाप्ति भुगतान, क्षतिपूर्ति सहित किसी भी अन्य दावों और/या देयता (ओं) को पूरा करने के लिए डीआईसी से अपने खर्चों की वसूली करने की हकदार होगी। नोडल एजेंसी के ऐसे खर्चों की वसूली के लिए एक उपयुक्त विनियम तैयार किया जाएगा।

नोडल एजेंसी द्वारा टीएसपी से प्राप्त किसी भी भुगतान या नुकसान को सीईआरसी हिस्सेदारी विनियमों के अनुसार देय मुआवजे की कटौती के बाद, परियोजना की कमीशनिंग में देरी के लिए सीईआरसी हिस्सेदारी विनियमों के अनुसार डीआईसी द्वारा भुगतान किए जाने वाले पारेषण शुल्क को समायोजित करने के लिए उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा,

सभी नामित अंतर-राज्यीय ग्राहक (डीआईसी) सीटीयू को अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में सुविधा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित दायित्व निभाएंगे:

क) परियोजना को जोड़ने के लिए टीएसपी को सक्षम करने के लिए अंतर्संयोजन सुविधाओं की उपलब्धता का समन्वय करना; तथा

ख) नोडल एजेंसी को अपने कर्तव्यों और दायित्वों के निष्पादन के लिए आवश्यक सभी सहायता प्रदान करना।

9.4.4. **समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यीय पारेषण प्रभारों और हानियों की हिस्सेदारी) विनियम के तहत करार।** अंतर-राज्यीय परियोजनाओं के मामले में, टीएसपी समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यीय पारेषण प्रभारों और हानियों की हिस्सेदारी) विनियम के तहत आयोग से पारेषण लाइसेंस प्रदान करने की तिथि से पन्द्रह (15) दिनों के भीतर आवश्यक करार करेगा।

9.4.5. बोलीदाता के प्रस्ताव की वैधता की आवश्यक अवधि;

9.4.6. **एसपीवी के साथ किया जाने वाला प्रस्तावित टीएसए।** आरएफपी चरण में प्रस्तावित टीएसए को बोली-पूर्व सम्मेलन के दौरान बोलीदाताओं से प्राप्त परियोजना से संबंधित जानकारी के आधार पर संशोधित किया जा सकता है और इसे सभी आरएफपी बोलीदाताओं को उपलब्ध कराया जाएगा। टीएसए में आगे कोई और संशोधन नहीं किया जाएगा;

9.4.7. **बीपीसी द्वारा अपनाई जाने वाली बोली मूल्यांकन कार्यप्रणाली।** आरएफपी के साथ ऑनलाइन जमा किए गए प्रारंभिक मूल्य प्रस्ताव का मूल्यांकन बोलीदाता द्वारा उद्धृत पैकेज के तहत शामिल सभी घटकों के लिए वार्षिक पारेषण शुल्क के आधार पर किया जाएगा। प्रारंभिक प्रस्ताव के पारेषण शुल्क को अर्हता प्राप्त बोलीदाताओं के निर्धारण के लिए आरोही क्रम के आधार पर क्रमबद्ध किया जाएगा। आरएफपी चरण में रैंकिंग के पहले 50% (किसी भी अंश को अगले पूर्णांक में पूर्णांकित) या 4 (चार) बोलीदाताओं में से जो भी अधिक हो, ई-रिवर्स बोली में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। यदि आरएफपी चरण में अनुक्रियाशील बोलीदाताओं की संख्या 2 (दो) से 4 (चार) के बीच है, तो सभी ई-रिवर्स बोली में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। यदि अनुक्रियाशीलता जांच के बाद केवल एक बोलीदाता शेष रहता है, तो ऐसे बोलीदाता का प्रारंभिक प्रस्ताव नहीं खोला जाएगा और मामला सरकार को भेजा जाएगा। एक या एक से अधिक बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रारंभिक प्रस्ताव से समान पारेषण शुल्क पाए जाने की स्थिति में, पात्र बोलीदाताओं के निर्धारण के उद्देश्य से ऐसे सभी बोलीदाताओं को समान रैंक दी जाएगी। ऐसे मामलों में, सभी बोलीदाता जो ऊपर निर्धारित रैंक के 50% तक समान रैंक साझा करते हैं, ई-रिवर्स बोली में भाग लेने के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे। यदि 50% रैंक (किसी भी अंश को अगले पूर्णांक में पूर्णांकित किया गया है) में 4 (चार) से कम बोलीदाता हैं और चौथे बोली लगाने वाले की रैंक 1 (एक) से अधिक बोलीदाता द्वारा साझा की जाती है, तो ऐसे सभी बोलीदाता जो चौथे बोलीदाता के रैंक को साझा करने वाले ई-रिवर्स बोली में भाग लेने के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे। शुरुआती प्रस्ताव से प्राप्त होने वाला सबसे कम पारेषण प्रभार अगले चरण, अर्थात् ई-रिवर्स बोली प्रक्रिया चरण के लिए उच्चतम कीमत होगी। ई-रिवर्स बोली प्रक्रिया चरण के दौरान, आरएफपी चरण में अर्हता प्राप्त बोलीदाताओं को अपनी बोली मौजूदा न्यूनतम बोली से कम से कम 0.25% कम रखनी होगी, जब तक कि वे रिवर्स नीलामी में जारी रखना चाहते हैं। ई-रिवर्स बोली के संचालन की प्रारंभिक अवधि 2 घंटे होनी चाहिए, जिसे अंतिम प्राप्त बोली के समय से 30 मिनट तक बढ़ाया जाएगा, यदि बोली निर्धारित या विस्तारित बोली के समय के अंतिम 30 मिनट के दौरान प्राप्त होती है। इसके बाद, इसे नवीनतम प्राप्त बोली के समय से 30 मिनट के लिए फिर से बढ़ाया जाएगा।

दृष्टांतः

(i) यदि बोलीदाता 10 हैं, जिनके रैंक L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10 के हैं, तो ऐसे मामले में 50% रैंक अर्थात् 5 हैं, बोलीदाता 5 हैं। तदनुसार, कुल 5 बोलीदाता अर्थात एल1, एल2, एल3, एल4, एल5 रिवर्स नीलामी में भाग लेने के लिए पात्र होंगे।

(ii) यदि बोलीदाता 8 हैं जिनके रैंक L1, L1, L2, L2, L2, L3, L4, L5 हैं, तो ऐसी स्थिति में 50% रैंक (अगले उच्च पूर्णांक तक के लिए) अर्थात् 3 है जिसमें 6 बोलीदाता हैं। तदनुसार, अब कुल 6 बोलीदाता अर्थात एल1, एल1, एल2, एल2, एल2, एल3 रिवर्स नीलामी में भाग लेने के लिए पात्र होंगे।

(iii) यदि बोलीदाता 8 हैं जो L1, L2, L3, L4, L4, L5, L5, L6 के रूप में रैंक रखते हैं, तो ऐसे मामले में 50% रैंक अर्थात् 3 में केवल 3 बोलीदाता हैं और चौथे बोलीदाता द्वारा 2 बोलीदाताओं के बीच रैंक साझा किया जाता है।